राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/20 दिनांक : 30.10.2015

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषय : आरोग्य राजस्थान योजना की प्रभावी क्रियान्विति. आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे समय पर गुणवता पूर्वक पूर्ण किया जाने के संबंध में ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015–16 आरोग्य राजस्थान की जिलों में प्रभावी क्रियान्विति व गुणवता में सुधार हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशो की अनुपालना में दिनांक 28.10.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशो के अनुसार स्वास्थ्य सर्वे निर्धारित समय पर गुणवता पूर्वक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप जिला अस्पताल) में प्रतिदिन के आधार पर प्रभारी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग व संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रपत्रो के सेम्पल आधार पर जाँच कर उसमें गुणात्मक सुधार किया जाना सुनिश्चित करावें। प्रपत्रो की जाँच के दौरान बिन्दु संख्या 3 से 9 तक आईडी संख्या सही भरें ताकी ऑनलाइन ऐन्ट्री के समय परिवार के मुखिया व परिवार के सदस्यो की सही सूचना का मिलान किये जाने में आसानी हो।

जिला स्तर से निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य सर्वे की ब्लाकवार प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक सोमवार को राज्य पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में गठित कोर कमेटी की प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर आरोग्य राजस्थान की समीक्षा से राज्य को अवगत करें।

पूर्व में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना ई–मित्र कियोस्क द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में की जानी थी परन्तु अब मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार उक्त प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक सूचना की एन्ट्री प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप जिला अस्पताल पर की जानी है। प्रत्येक प्रपत्र की बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना विभाग द्वारा तैयार करवायें गये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में की जावेगी तथा उक्त सूचना सॉफ्टवेयर में सही अंकित करने पर प्रत्येक प्रपत्र की ऐन्ट्री के अनुसार टेंडर द्वारा निर्धारित राशि नियमानुसार दी जावेगी। आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना की सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन एन्ट्री का कार्य जिला स्तर पर निविदा आंमत्रित कर कार्य समय पर पूर्ण करवाया जाना है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के निर्देशानुसार RTPP Act 2012 के प्रावधानो एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय निर्धारित परियोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार योजना के द्वितीय चरण में आयोजित किये जाने वाले ग्राम पंचायत वार शिविर(01.12.2015 से 31.3.2016) प्रत्येक सप्ताह में शनिवार/रविवार को आयोजित किये जाने है जिससे चिकित्सा संस्थानो के निर्धारित कार्यो में व्यवधान नही होगा। । इस संबंध में यदि आप द्वारा पूर्व में शिविर की ग्राम पंचायतवार अनुसूची (Schedule) तैयार कर ली गई है तो पुनः संशोधित ग्राम पंचायतवार निर्धारित

प्रपत्र में ही शिविर अनुसूची तैयार कर जिले की ईकजाइ सूचना राज्य को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त शिविरो में दवाईयों की आवश्यकता के अनुसार मांग पत्र आरएमएससीएल को भिजवाकर शिविर लगानें से पूर्व दवाईयों की पर्याप्त मात्रा को सुनिश्चित करें। प्रत्येक कैम्प में दो चिकित्सक व चार पैरा मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेंगें। स्वास्थ्य कैम्पो में चिकित्सको व पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैम्पों का आयोजन में यह व्यवस्था की जावे कि जिस पीएचसी/सीएचसी पर माह के प्रथम शनिवार/रविवार को कैम्प नियत किया हो उसके नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर माह के द्वितीय शनिवार/रविवार को कैम्प नियत किया जाना सुनिश्चित करें व इसी प्रकार माह के तृतीय तथा चतुर्थ शनिवार/रविवार को कैम्प नियत किया जावें ताकि प्रत्येक कैम्प में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जिले में स्वास्थ्य कैम्प आयोजन हेतु निजी चिकित्सको की आवश्यक संख्या से राज्य स्तर को सूचित करे ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. व मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व अति. मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निदेशक, जन-स्वास्थ्य।
6. निदेशक आरसीएच।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोन कार्यालय, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
11. नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
12. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) समस्त राजस्थान।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त जिला आशा कोर्डिनेटर, समस्त राजस्थान।
14. सर्वर रूम।

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Government of Rajasthan

Medical and Health services

Revised Arogya Rajasthan health camp plan

Hon'ble CM Budget announcement 2015-16 Point no 121- - Arogya Rajasthan - Gram panchayatwise health camp schedule from 01.12.2015 to 31.3.2016

Name of District:

Total number of Gram panchayats in district:

Total number of Revenue villages in district:

Total number of families in the district

S.N.	Name of block	Total no. of Gram Pachayats in block	Name of Gram panchayat		Name of Sub center (as per PCTS) in Gram Panchayat	Sub center UNIT Code (as per PCTS)	Name of Revenue village in Gram Panchayat	Population of Revenue village	Health camp place & date		Expected number of participants in the Health Camp at Gram Panchayat
			S.N.	Name					Place	Date	
1											

Kindly Send revised health camp report in english and excel format only with in two days, asto send district consolidated report in one excel sheet (not block wise)

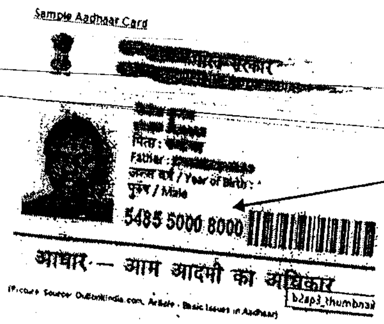

12 अंकों का आधार कार्ड

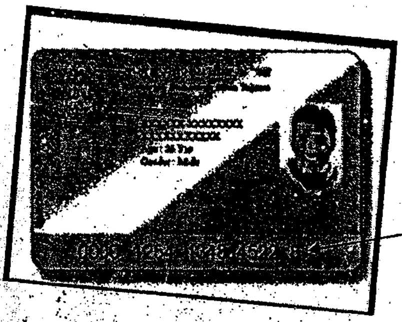

17 अंकों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड आई.डी.

7 अंकों की भामाशाह कार्ड आई.डी.

18

Bhamashah Yojana

Acknowledgement Slip

http://

भामाशाह संख्या 9999-89SU-00190

15 अंकों की भामाशाह कार्ड रसीद संख्या यदि भामाशाह कार्ड नहीं बना (4 अंकों के बाद कॉलम में – का निशान लगाये)

आधार संख्या	6428 1203 3635	मुखिया का नाम	सुमन देवी	परिवार की श्रेणी	ओबीसी
क्या ग्रामीण क्षेत्र से है	नही	पता	शास्त्री नगर जयपुर	मकान संख्या	156
सीमा चिन्ह		स्थान		शहर	जयपुर
जिला	जयपुर	पिन कोड	303203	दूरभाष संख्या	
मोबाइल संख्या		ई - मेल		मकान की स्थिति	पक्का
पारिवारिक बैंक का नाम	Bank Of Baroda	पारिवारिक बैंक खाता संख्या	14630200000432	पारिवारिक बैंक शाखा का नाम	BARB01AJCOM

क्र सं	आधार संख्या	परिवार के मुखिया से संबंध	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	पति / पत्नी का नाम	लिंग	जन्म तिथि / उम्र	वैवाहिक स्थिति
1	6428 1203 3635	स्वयं	सुमन देवी	रामफूल	बिदामी	हनुमान	महिला	06-08-1952/63	विवाहित
2	1254 7896 3251	पति	हनुमान	कल्याण	मीरा देवी	सुमन देवी	पुरुष	17-08-1950/ 65	विवाहित

राजस्थान सरकार

परिवार राशन कार्ड

राशन कार्ड संख्या	00005
जारी करने की तिथी	
पंचायत समिति	कोटकासिम
ग्राम पंचायत	कोटकासिम
ग्राम	कोटकासिम
मुखिया का नाम	अनिल कुमार जैन
पिता/माता का नाम	बृज कुमार जैन
मोबाइल/दूरभाष	
पूरा पता	456, वसुंधरा नगर, कोटकासिम, कोटकासिम, अलवर 302001
गैस कनेक्शन प्रकार	सिंगल/भारत पेट्रोलियम लिमिटेड
गैस एजेन्सी	BALAJI BHARAT GAS GRAM. VIT.
उपभोक्ता सेवा क्र.	4545
आयकर दाता	नहीं

07214200005

5 अंकों की राशन कार्ड संख्या स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र में **नहीं** लिखना है

12 अंकों की राशन कार्ड आई.डी. ही स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र में लिखें

उचित मूल्य की दुकान का विवरण

क्रमांक	प्राधिकार पत्र सं. 1034/2001
दुकान का नाम	BIJENDRA SINGH
पता	BAGHANA, KOTKASIM, KOTKASIM
मोबाइल नं.	

SPECIMEN TYPE-II

1

राशन कार्ड संख्या 00005

व्यक्तियों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध जो इस कार्ड में दर्ज है

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	लिंग	मुखिया से संबंध
1	अनिल कुमार जैन	07/00/1960	पु.	स्वयं
2	नैना कुमारी	08/08/1962	म.	पत्नी
3	बृज कुमार जैन	22/08/1940	पु.	पिता
4	शिखा कुमारी	08/08/1980	म.	पुत्री
5	पप्पू कुमार	01/08/1982	पु.	पुत्र
6	विनोद कुमार	01/08/2006	पु.	पुत्र

कुल सदस्य - 6 / वयस्क - 5 / अल्पवयस्क - 1

SPECIMEN TYPE-II

पद नाम : प्राधिकृत अधिकारी